न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2016 (रे.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 11.02.2016

श्री गोरधन पिता गिरधारीलाल कांछी, आयु वयस्क, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री राधेश्याम पिता बख्तावर जाति चमार, आयु वयस्क, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र विरूद्ध आवंटन दिनांक 02.06.1989 आदेश कमांक रा–89/525–57 दिनांक 07.07.1989 अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 बाबत्।

उपस्थिति : 1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा केली तहसील निम्बाहेड़ा के आराजी नम्बर 2244/435 रकबा 3 बीघा भूमि तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा आवंटन दिनांक 02.06.89 से आवंटित की गई एवं हाल ही में विपक्षी संख्या 1 ने आवंटन आदेश की पालना में उसे अपने नाम करा लिया है। उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी गोवर्धन लाल का उसके पिता श्री गिरधारी लाल कांछी के जमाने से चला आ रहा है। इस भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है और इस भूमि को अपनी दीगर आराजीयात में वर्षो से मिला रखा है। विपक्षी ने आवंटन शर्तो के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की हैं जिससे विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का इस भूमि पर उसके पिता के जमाने से कब्जा चला आ रहा है। आवंटन दिनांक से विपक्षी का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है आवंटन आदेश की पालना में कभी भी विपक्षी द्वारा इस भूमि पर काश्त नहीं की है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व पूर्वजों के जमाने से प्रार्थी का इस भूमि पर कब्जा चला आ रहा है जिससे यह भूमि अनऑक्यूपाईड भूमि नहीं थी। आवंटन आदेश जारी करते समय प्रार्थी को इस भूमि से बेदखल किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। आवंटन आदेश की अनुपालना में विपक्षी द्वारा इस भूमि को विकसित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को आदेश दिनांक 02.06.89 को किया गया भूआवंटन निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा केली तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 2244/435 रकबा 3 बीघा लगान 3.00 रू. भूमि विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 02.06.19 को आवंटन करना बताया है।

सर्वप्रथम हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा आवंटन नहीं करके भूआवंटन कमेटी निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 02.06.89 को जरिये पत्रावली संख्या 228/89 से मौजा केली तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 435 रकबा 5.15 बीघा में से 3.00 बीघा का आवंटन किया गया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है जो जरिये इंतकाल नम्बर 1226 दिनांक 17.07.89 से आराजी नम्बर 2244/435 रकबा 3.00 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 के खाते में गैर खातेदारी हक से दर्ज है।

प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में थी और प्रार्थी भूआवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती। विपक्षी द्वारा ग्राम केली तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नम्बर 435 में से भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं बाद जांच भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा ने उक्त भूमि आ. नं. 435 रकबा 5.15 बीघा में से 3.00 बीघा भूमि विपक्षी को आवंटित की एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने से ही आराजी नम्बर 2244/435 रकबा 3.00 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में जरिये इंतकाल नम्बर 1935 दिनांक 14.03.2005 से दर्ज हो चुकी है।

साबिक आराजी नम्बर 2244/435 रकबा 3.00 बीघा के वर्तमान सेटलमेंट में नवीन खसरा नम्बर 640 क्षेत्रफल 0.01 एवं खसरा नम्बर 641 क्षेत्रफल 0.75 हैक्टेयर बने जो कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है।

आवंटी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069-2072 अनुसार खसरा नम्बर 640 क्षेत्रफल 0.01 एवं खसरा नम्बर 641 क्षेत्रफल 0.75 हैक्टेयर भूमि विपक्षी श्री राधेश्याम पिता बख्तावर चमार के खातेदारी में दर्ज है। विपक्षी उसे आवंटनशुदा भूमि का खातेदार है, और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)